क्रम-संख्या-507

[illegible]

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2465/सत्रह-वि-1—1 (क) 29-2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2000)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 4 अक्टूबर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क में, उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां किसी सिनेमा के किसी वर्ग के श्रोताओं या दर्शकों को धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो, वहां ऐसे सिनेमा का मालिक ऐसे श्रोता या दर्शक से ऐसी मुक्ति के प्रवृत्त रहने तक खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त प्रभार वसूल करने का हकदार नहीं होगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2465 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 29-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 33 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 33 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Third Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 4, 2000.

Amendment of section 3-A of U. P. Act no. 28 of 1979

2. In section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, in sub-section (1), *after* the proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that where any class of audience or spectators of a cinema has been exempted under sub-section (2) of section 11 from liability to pay tax, the proprietor of such cinema shall not be entitled to realise extra charge under clause (*a*) from such audience or spectator till such exemption is in force."

Repeal and Savings

U. P. Ordinance no. 16 of 2000

3. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Second Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 164 सा० विधा०—(2327)-2000—850 (मेक०)

(227)